संख्या: 08/2021/331/12-2-2021-बजट.2/2010

प्रेषक,

राधेश्याम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-105-खाद तथा उर्वरक-03-देश में निर्मित रसायनिक उर्वरकों की लागत एवं प्रासंगिक व्यय के मानक मद-42-अन्य में प्राविधानित धनराशि एवं 04-उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजनान्तर्गत-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: बी0ए0/777/वित्तीय स्वीकृति 2020-21 दिनांक 13 जनवरी, 2021 तथा पत्र संख्या: गु0नि0/467/वित्तीय स्वीकृति 2020-21 दिनांक 19 जनवरी, 2021 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-105-खाद तथा उर्वरक-03-देश में निर्मित रसायनिक उर्वरकों की लागत एवं प्रासंगिक व्यय के मानक मद-42-अन्य में प्राविधानित धनराशि रू0 4.50 लाख के सापेक्ष रूपया 4.50 लाख एवं 04-उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 44.00 लाख के सापेक्ष रूपये 40.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रूपये 44.50 लाख (रूपये चौवालीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि से मशीने एवं उपकरणों के क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(4) धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्ययावर्तन किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो तो ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा की जाएगी।

(7) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए।

(8) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, अत: वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेश का पालन प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जाएगा।

(10) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(11) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा अन्य संगत शासनादेश में दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किया जाए तथा वित्त विभाग की शर्तों का अनुपालन करते हुए कार्य किया जाए तथा प्राप्तियॉ शासकीय कोष में जमा की जायें।

3. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

संख्या: 08/2021/331(1)/12-2-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, (उर्वरक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in